भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2436

(दिनांक 01.08.2018 को उत्तर के लिए)

कार्य-निष्पादन की समीक्षा

2436. श्री विजय कुमार हांसदाक :
श्री हरीश मीना :
श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के अधिकारियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है या करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार को विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों के अल्प कार्य-निष्पादन और कार्य में विलंब के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे सुस्त अधिकारियों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उक्त अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने उच्च स्तर पर आईएएस अधिकारियों के कार्य-निष्पादन को उनके समाज के कमजोर वर्गों के प्रति रवैये के आधार पर और प्रारूप मूल्यांकन फार्म को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस संबंध में राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मूल्यांकन प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग) : सरकारी सेवकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा मूल नियम 56 (ञ) और केन्द्रीय सिविल सेवा (सीसीएस)(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत एक सतत प्रक्रिया है, जो यह प्रावधान करती है कि किसी सरकारी सेवक के कार्य निष्पादन की विनिर्दिष्ट आयु विशेष का होने पर अथवा सेवा के अर्हक वर्षों को पूरा करने पर समीक्षा की जानी चाहिए और उसे लोकहित में सेवानिवृत्त किया जा सकता है। इन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत अपनाए जाने वाली प्रक्रिया तथा आवधिक समीक्षा करते समय ध्यान में रखे जाने वाले विभिन्न पहलुओं संबंधी दिशा-निर्देशों को समय-समय पर जारी किया गया है।

संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की गई उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मई 2018 तक कुल 25,082 समूह 'क' तथा 54,873 समूह 'ख' अधिकारियों की समीक्षा की गई है और जिसमें से 93 समूह 'क' और 132 समूह 'ख' अधिकारियों के विरूद्ध मूल नियम 56 (ञ)/संगत नियमों के प्रावधान लगाए गए/सिफारिश की गई।

(घ) एवं (ड.) : भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों की गोपनीय पंजिकाएं (सीआर)/कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) अखिल भारतीय सेवा (कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियमावली, 2007 में विहित फॉर्म और समय-सीमा के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अवधि के लिए भरी जाती हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों के मूल्यांकन फॉर्म में अन्य बातों के साथ-साथ सबल पक्षों तथा कमजोर वर्गों के प्रति उनके रवैये सहित अधिकारियों के समग्र गुणों के संबंध में टिप्पणी हेतु प्रावधान होता है।

******